21/4/23 आज तक राजस्थानी प्रशासनिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने के कारण तारीख पेशी से पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. साहब प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/7/23 को पेश हो।

3/7/23 आज ... पीठासीन अधिकारी ... / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में [illegible] व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/7/23 को पेश हो।

(रीडर)

4/7/23 वकील वादी उप. तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त हुईपात रिपोर्ट पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने हुईपात रिपोर्ट सही होना जाहिर करते हुए दावा अन्तिम डिग्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया हुईपात रिपोर्ट सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद संख्या :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
:– 30/2023

शीर्षक

1. अशोक कुमार रैगर पुत्र श्री मोहनलाल रैगर, जाति रैगर, निवासी–वार्ड नं0 07, अम्बेडकर कॉलोनी, हरमाडा घाटी, सीकर रोड़, जयपुर राज.

–वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री घीसालाल, जाति बलाई, निवासी अमरसर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा ... बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 4/7/2023

वाद संक्षेप इस प्रकार है कि हाल खाता संख्या 118 के हाल खसरा नंबर 755 ...कबा 0.27 कुल किता–01 कुल रकबा 0.27 है0 वाकै ग्राम पठानों का बास, पटवार ...ल्का–अमरसर, भू0अभि0नि0 क्षेत्र अमरसर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0 में स्थित ..., जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ... दर्ज है जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार है। नकल जमाबंदी ...म्वत् 2074–2077 संलग्न वाद पत्र पेश है। उक्त वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादी ...पने अपने हिस्से अनुसार मनबट बंटवारा के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले ...ा रहे है तथा आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है। वादी ... प्रतिवादी के मध्य वाद उक्त वर्णित आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है किन्तु अब ...तिवादी के मन में दुर्भावना आ गयी है और उसने वादी के खिलाफ एक नाजायज ... बना लिया है तथा वादी को उसके कब्जे व काश्त व उपयोग उपभोग में ...जाहमत पैदा करने लग गया है एवं आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये ही उक्त ...र्णत आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर जबरन कब्जा करने व दीगर व्यक्तियों को बेचान ...रने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है।

यह है कि कुछ दिनों पूर्व वादी अपने हिस्से की भूमि की देखरेख कर रहा था तो ...छ अनजान व्यक्ति आये और भूमि की तरफ हाथ से इशारा कर रहे थे तो वादी ने ...नसे पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रतिवादी ने हमें भेजा है हम इस जमीन को खरीदेंगे ...ा शीघ्र ही इस भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर जबरन कब्जा करेंगे। इस पर वादी ने उन ...गों से कहा कि मेरे हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा मत करो और कानूनी बंटवारा ...रवाने के लिये कहा तो उक्त व्यक्ति भड़क गये तथा लडाई झगडा व मारपीट करने पर ...मादा हो गये तथा उक्त लोगों ने वादी को धमकी दी कि हम कानूनी बंटवारा नहीं ...रवायेंगे तथा बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही तुम्हारे हिस्से की जमीन पर भी जबरन ...ज़ा करके रहेंगे। प्रतिवादी या उसके द्वारा भेजे दीगर व्यक्ति अपने अवैध मन्सूबे में ...फल हो गये और उन्होंने उक्त वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही ...राजी मुतनाजा पर वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया या अन्य दीगर ...क्तियों को बेचान कर दिया तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा ...ससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के

सहायक कलक्टर

रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी बढ़ेगी इस कारण वादी को प्रतिवादी के विरूद्व उक्त वाद पत्र बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल खाता संख्या 118 के हाल आराजी खसरा नंबर 755 रकबा 0.27 है0 ग्राम पठानों का बास पटवार हल्का अमरसर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य खसरा नरसा व राजस्व नियमावली के मुताबिक खातेदार काश्तकारों द्वारा पूर्व में किये गये मनबट बंटवारे के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर व खातेदारों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारा का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। बाद नोटिस तामिल प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं, इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ाई गई। दिनांक 10.04.2023 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार ाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के त्रांक/भू0अ0/2023/1472 दिनांक 17.05.2023 से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बंटवारा ुर्रेजात पर वकीलवादी को सुना गया। वकीलवादी ने बंटवारा कुर्रेजात अनुसार वादपत्र े अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस र ...न किया गया। बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित मझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया ाता है कि ग्राम पठानों का बास, पटवार हल्का अमरसर तह0 शाहपुरा के हाल खाता ख्या 118 के हाल आराजी खसरा नंबर 755 रकबा 0.27 है0 भूमि के खातेदारान के य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. **अशोक कुमार रैगर पुत्र मोहनलाल रैगर , जाति रैगर निवासी अम्बेडकर कॉलोनी सीकर रोड जयपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 755/1 रकबा 0.18 है0 भूमि रहेगी।**
2. **बाबूलाल पुत्र घीसालाल जाति बलाई सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 755/2 रकबा 0.09 है0 भूमि रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें। पर्चा डिक्री जारी। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 4/7/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास या गया।

सहायक कलक्टर
(मनमोहन मीना)
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 30/2023

शीर्षक

1. अशोक कुमार रैगर पुत्र श्री मोहनलाल रैगर, जाति रैगर, निवासी–वार्ड नं0 07, अम्बेडकर कॉलोनी, हरमाडा घाटी, सीकर रोड़, जयपुर राज.

–वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री घीसालाल, जाति बलाई, निवासी अमरसर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 4/7/23

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया ाता है कि ग्राम पठानों का बास, पटवार हल्का अमरसर तह0 शाहपुरा के हाल खाता ंख्या 118 के हाल आराजी खसरा नंबर 755 रकबा 0.27 है0 भूमि के खातेदारान के ध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. अशोक कुमार रैगर पुत्र मोहनलाल रैगर , जाति रैगर निवासी अम्बेडकर कॉलोनी सीकर रोड जयपुर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 755/1 रकबा 0.18 है0 भूमि रहेगी।
2. बाबूलाल पुत्र घीसालाल जाति बलाई सा0 देह के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 755/2 रकबा 0.09 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें।

निर्णय आज दिनांक 4/7/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास ाया गया।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
शाहपुरा जिला जयपुर

के खर्चे

		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
ाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
दर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
.... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
ाक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
ादेशिका की तामिल			
		जोड़	